आरएमजीबी
RMGB

राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक
RAJASTHAN MARUDHARA GRAMIN BANK
(एसबीआई द्वारा प्रायोजित Sponsored by SBI)

लिंक शाखा   शाखा कोड

CIF No.   खाता संख्या A/c No.

खाते का प्रकार बचत ☐ चालू ☐ केसीसी ☐

एटीएम सुविधा के लिए आवेदन

शाखा प्रबन्धक
राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक

स्थान : ....
दिनांक : ....

महोदय,

मेरे/हमारे नाम से बैंक में खोले गये उक्त बचत बैंक/चालू खाते/किसान क्रेडिट कार्ड के विरूद्ध एटीएम कार्ड जारी करने का मैं/हम अनुरोध करता हूँ/करते हैं। मेरा/हमारा विवरण तथा खाते का विवरण निम्नानुसार है:

उस खाता धारक का नाम जिस के नाम से एटीएम कार्ड चाहा गया है (प्रथम नाम/मध्यम नाम/अन्तिम नाम)	
दूरभाष	निवास कार्यालय
मोबाईल	
पुरूष ☐ महिला ☐	जन्म तिथि
स्थायी पता : पिन कोड	डाक का पता : पिन कोड

इस आवेदन के पीछे वर्णित नियमों एवं शर्तो को मैने/हमने पढ़ लिया है और समझ लिया है। वर्णित नियमों एवं शर्तो को मैं/हम स्वीकार करता हूँ/करते हैं तथा उनका पालन करने के लिए एवं उनमें बैंक द्वारा समय-समय पर किसी भी प्रकार के किये जाने वाले परिवर्तन के लिए बाध्य हूँ/हैं।

भवदीय

नाम 1.   हस्ताक्षर :

नाम 2.   हस्ताक्षर :

नाम 3.   हस्ताक्षर :

केवल कार्यालय उपयोग के लिए	**एटीएम कार्ड एवं पिन लिफाफा प्राप्त किया**
आवेदक के विवरण एवं हस्ताक्षर सत्यापित। कार्ड जारी करने की अनुशंषा की जाती है।	सं. ....
प्रबन्धक मनोनीत एटीएम अधिकारी कार्ड निर्गम अधिकृत	दिनांक .... **ग्राहक के हस्ताक्षर**
शाखा प्रबन्धक	

नियम एवं शर्तें

1. प्रयुक्त शब्दावली
इस प्रलेख में प्रयुक्त शब्दों एवं वाक्याशों का अभिप्राय उनके सम्मुख दिया गया है जब तक कि संदर्भ अन्यथा इंगित न करता हो।
एटीएम : ऑटोमेटेड टैलर मशीन
कार्ड : एटीएम के माध्यम से ग्राहक के खाते में लेन देन के लिए उसे जारी किया गया एटीएम कार्ड।
बैंक : राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक
कार्डधारी : एटीएम कार्ड का प्रयोग करने के लिए बैंक द्वारा अधिकृत ग्राहक
एटीएम खाता : बचत/चालू/केसीसी अथवा किसी अन्य प्रकार का खाता जो बैंक द्वारा एटीएम कार्ड के प्रयोग द्वारा परिचालन के लिए प्राधिकृत किया जाए।

2. पात्रता मानदण्ड
2.1 उन खातों के लिए एटीएम कार्ड जारी नहीं किया जायेगा, जिन खातों में कोई नाबालिग अभिभावक/संरक्षक में एकल/संयुक्त खाताधारी है। दस वर्ष से ऊपर के नाबालिग जो स्वतंत्र रूप से खाते का संचालन करते हो और हस्ताक्षर करते हो उन्हें जारी किया जा सकता है।
2.2 अशिक्षित व नेत्रहीन खाता धारक को एटीएम कार्ड जारी नहीं किया जायेगा।
2.3 संयुक्त खातों के मामले में, विभिन्न खातों के अन्तर्गत, निम्नलिखित शर्तों के आधार पर कार्ड जारी किये जा सकते है :
अ. कोई एक या उत्तरजीवी : किसी भी खातेदार को एटीएम कार्ड जारी किया जा सकता है। एटीएम कार्ड जारी करने के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले अनुरोध प्रपत्र पर सभी खाता धारकों द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।
ब. पहला या उत्तरजीवी : कार्ड केवल "पहले" को ही जारी किया जा सकता है।
स. बाद वाला या उत्तरजीवी : कार्ड केवल "बाद वाले" को ही जारी किया जा सकता है।
द. संयुक्त परिचालन : जिन खातों में संयुक्त रूप से परिचालन किया जाना है, उन खातों में एटीएम कार्ड जारी नहीं किया जायेगा। तथापि, संयुक्त खाताधारक अगर एटीएम सुविधा प्राप्त करने के इच्छुक हों तो उन्हें उचित रूप से परिचालन विधि में परिवर्तन करना पड़ेगा।
य एटीएम खातें को बन्द करने, अन्तरण करने या उसकी परिचालन विधि में परिवर्तन की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी, जब तक एटीएम कार्ड धारक द्वारा जारी करने वाली शाखा को कम से कम 7 कार्य दिवस पहले एक नोटिस सहित कार्ड का समर्पित नहीं किया जाता है।
र. समस्त संयुक्त खाताधारक नियमों एवं शर्तों से बाध्य हैं, जैसा भी इस संदर्भ में आव यक हो, हस्ताक्षरकर्त्ताओं को दायित्व संयुक्त एवं पृथक होगा। किसी भी एक खाताधारी को दिया गया नोटिस/सूचना, समस्त खाता धारकों को दिया गया नोटिस/सूचना समझा जायेगा।

3. पिन (व्यक्तिगत पहचान संख्या)
एटीएम कार्डधारी को एक गुप्त नम्बर दिया जाता है, जिसकी पहचान एटीएम द्वारा उस समय की जाती है, जिस समय एटीएम के माध्यम से किसी लेन देन को अधिकृत किया जाता है। पहली बार पिन को दृच्छिक आधार पर उत्पन्न कर शाखा द्वारा ग्राहक को सूचित किया जायेगा। पिन को कितनी भी बार बदलने के लिए ग्राहक स्वतंत्र है। ग्राहकों द्वारा इस नम्बर को सावधानी पूर्वक सम्भालकर रखना चाहिए और किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में स्वैच्छिक अथवा अन्यथा नहीं बताया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एटीएम कार्ड और सम्बन्धित पिन की मदद से एटीएम से रोकड़ का आहरण कर सकता है। ऐसी स्थिति में बैंक का कोई दायित्व नहीं है।

4. लेन-देनों की अनुमति के प्रकार
एटीएम पर निम्नलिखित लेन-देनों की अनुमति दी गई है:- ☆ रोकड आहरण ☆ खाता शेष पूछताछ ☆ लघु विवरणी ☆ सेवाएं

5. लेन-देन आहरण
5.1 एटीएम से प्रतिदिन प्रतिकार्ड अधिकतम रू. 10,000/- तक ही नकद आहरण की सुविधा दी जायेगी। न्यूनतम आहरण राशि रू. 100/- होगी और समस्त आहरण केवल रू. 100/- के गुणक में ही होने चाहिए। तथापि, अधिकतम आहरण सीमा में परिवर्तन कार्ड धारक को सूचना दिये बिना भी किया जा सकता है।
5.2 किसी भी रोकड़ आहरण अथवा अन्तरण अथवा किसी भी प्रकृति के आहरणों, जो भी हों, के लिए कार्डधारक एटीएम खाते में पर्याप्त राशि रखने का वचन देता है।
5.3 अगर किसी भी कारणवश एटीएम खातें में अधिआहरण हो गया है तो समय-समय पर बैंक के नियमों के अनुसार निर्बन्ध अधिविकर्षों पर लागू ब्याज दर के अनुसार ब्याज लागू होगा।
5.4 रोकड़ पूछताछ एवं लघु विवरणी विकल्पों में जमाओं की अस्पष्ट राशि भी सम्मिलित होती है तथा यह सूचना विधि के न्यायालय में एक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं की जा सकती है।

6. गुणक खाते :
गुणक खातों के मामले में, ग्राहक के खातों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है, जिसे बैंक के पास उसके सम्बद्ध किया जाए।

7. खाता बन्द करना :
किसी भी खाते को बन्द करने अथवा अन्तरण करने सम्बन्धी समस्त अनुरोधों के साथ खाताधारक(कों) को जारी एटीएम कार्ड का नत्थी किया जाना चाहिए।

8. निष्क्रिय खाता :
अगर किसी कार्डधारक का खाता निष्क्रिय हो गया है (6 माह से अपरिचालित) तो शाखा प्रबन्धक स्थिति का परीक्षण करेगा और ग्राहक को कार्ड के समर्पण करने की सलाह देगा।

9. एटीएम कार्ड/पिन जारी करने के लिए प्रभार
एटीएम कार्ड जारी करने का कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। तथापि, खोये हुए/चोरी किये हुए/कटे-फटे कार्ड के बदले दूसरा कार्ड जारी करने के लिए रू. 204/- लिये जायेंगे।

10. एटीएम कार्ड की वैधता :
10.1 एटीएम कार्ड की वैधता बैंक द्वारा इसके जारी होने की तिथि से निर्धारित की जायेगी और तद्नुसार कूट (Encode) की जायेगी। कार्ड का नवीनीकरण केवल तभी किया जायेगा, जब यह पाया जाए कि पूर्व के एटीएम लेन-देनों में कोई प्रतिकूल लक्षण दिखाई नहीं देता है और शाखा प्रबन्धक खाते के व्यवहार से संतुष्ट है। नया कार्ड प्राप्त करने के बाद, इसे केवल पुराने एटीएम कार्ड के समर्पण के उपरान्त ही सुपुर्द किया जायेगा।
10.2 जिस ग्राहक का एटीएम कार्ड खो गया है/चुरा लिया गया है, स्टाम्पित क्षतिपूर्ति पत्र प्राप्त करने के बाद उसे दूसरा एटीएम कार्ड जारी किया जा सकता है। गुमशुदा/चोरी किये गये कार्ड के बदले, दुसरा कार्ड जारी करने के लिए रू. 204/- का शुल्क प्राप्त किया जायेगा इसे नये पिन के साथ एक कार्ड के स्थान पर दूसरा कार्ड माना जायेगा लेकिन कार्ड की वैधता अवधि वही होगी, जो पहले वाले कार्ड की थी।

11. एटीएम कार्ड का स्वामित्व
एटीएम कार्ड का समग्र स्वामित्व बैंक की ही होगा। ग्राहकों को ये कार्ड एटीएम मशीन द्वारा सव्यवहार करते समय उनकी पहचान करने में मदद करनें के लिए जारी किये जाते हैं और जब तक खाते का संचालन है तब तक ये कार्ड ग्राहक के पास रह सकते है अथवा बैंक भी इन कार्डो को वापस मांग सकता है। खाते के बन्द होने अथवा कार्ड की अवधि समाप्त होने या किसी भी समय बैंक द्वारा अनुरोध किये जाने पर कार्डधारकों को ये कार्ड समर्पित करने पड़ते हैं।

12. अहस्तान्तरणीयता
एटीएम कार्ड हस्तान्तरण योग्य नहीं है और इसका प्रयोग केवल जारी किये गये कार्ड धारक द्वारा ही किया जायेगा।

13. एटीएम कार्ड का गुम/चोरी हो जाना
13.1 कार्डधारक, कार्ड के खोने या चोरी होने के लिए उत्तरदायी है साथ ही कार्ड के अनाधिकृत रूप से प्रयोग होने की सूचना यथाशीघ्र लिखित में खाता रखने वाली शाखा को सूचना देने के लिए जिम्मेदार है। कार्डधारक इसकी सूचना 180030000620 पर भी बैंक को दे सकता है कि कार्ड अप्रचलित कर दिया जाये। कार्डधारक एवं संयुक्त खाताधारक , अगर कोई हो, कार्ड के प्रयोग द्वारा होने वाले किसी भी लेन-देन के लिए जिम्मेदार होगा, इस तथ्य के बावजूद भी कि कार्ड के गुम होने/चोरी होने और/अथवा कार्ड के अनाधिकृत प्रयोग की सूचना दे दी गयी है, लेकिन जब तक कार्ड निरस्त/जब्त नहीं किया जाता है और इस प्रकार के प्रभाव का नोटिस कार्ड जारी करने वाली शाखा द्वारा कार्डधारक को लिखित में नहीं दे दिया जाता है।
13.2 गुमशुदा/कटे-फटे/खराब हुए एटीएम कार्ड के बदले नया एटीएम कार्ड बैंक द्वारा निर्धारित (वर्तमान में रू 204/-) शुल्क प्रभारित कर जारी कर दिया जायेगा, साथ ही, इस उद्देश्य के लिए कार्डधारक द्वारा बैंक को एक स्टाम्पित क्षतिपूर्ति पत्र भी प्रस्तुत करना पड़ेगा।

14. जब्त कार्ड
14.1 कुछ एटीएम पर, कार्ड को निम्नलिखित कारणों पर जब्त किया जा सकता है :-
i) कार्डधारक द्वारा लगातार तीन बार गलत पिन दर्ज करना।
ii) कार्ड के गुमशुदा /चोरी होने की घोषणा करने पर।
iii) एटीएम में यान्त्रिक दोष।
iv) कार्डधारक द्वारा एटीएम कार्ड रीडर में कार्ड असावधानीपूर्वक छोड़ देने पर।
14.2 जब्त किये गये कार्ड को कार्डधारक की उचित पहचान एवं बैंक की सन्तुष्टि के बाद ही सुपुर्द किया जायेगा। अगर बैंक द्वारा डुप्लीकेट कार्ड जारी कर दिया गया है तो जब्त किये गये कार्ड को बैंक द्वारा नष्ट कर दिया जायेगा।

15. एटीएम कार्डधारक की मृत्यु
कार्डधारक की मृत्यु के मामले में, खाते को बन्द करने या उसके उत्तराधिकारियों द्वारा खाते में परिचालन की अनुमति देने से पूर्व बैंक को आवश्यक रूप से कार्ड वापस प्राप्त करने चाहिए।

16. बैंक का ग्रहणाधिकार
ग्राहकों के खाते में पड़ी वर्तमान अथवा भावी जमाओं पर किसी अन्य ग्रहणाधिकार अथवा प्रभार का ध्यान किये बिना बैंक को समायोजन एवं ग्रहणाधिकार का अधिकार प्राप्त होगा चाहे वे जमाएं एक नाम या संयुक्त नामों में है और वे समस्त बकाया राशि की सीमा तक हैं जो इस सुविधा के विस्तार और/अथवा ग्राहक द्वारा प्रयुक्त सुविधा के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई हो।

17. अखण्डनीय प्राधिकार
बैंक को प्रदत्त समस्त प्राधिकार एवं एतद् स्वीकृत एवं सहमत शर्ते अखण्डनीय हैं।

18. एटीएम खाते को नामे करने का अधिकार
एटीएम के प्रयोग द्वारा प्रक्रियारत लेन-देनों के लिए बैंक का अभिलेख अन्तिम एवं समस्त उद्देश्यों के लिए बाध्यकारी होगा। संयुक्त खाताधारक, यदि कोई हो, सहित कार्डधारक एटीएम कार्ड से सम्बन्धित समस्त लेन-देनों के लिए संयुक्त रूप से एवं पृथक रूप से जिम्मेदार होगा और एटीएम कार्ड के प्रयोग द्वारा किसी भी प्रकृति के आहरण के लिए बैंक रिकार्ड के अनुसार बैंक के एटीएम खाते को डेबिट करने का अधिकार और साथ ही साथ समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित एटीएम कार्ड से सम्बन्धित प्रभारों/शुल्कों/लागतों/ब्याज आदि प्राप्त करने का अधिकार बैंक को देता है।

19. कार्ड का आदरण करना
बैंक किसी भी परिस्थिति में कार्डधारक के प्रति उत्तरदायी नहीं है अगर एटीएम कार्ड किसी भी कारणवश आद्धत नहीं किया गया है अथवा किसी केन्द्र पर एटीएम सेवा में कोई बाधा उत्पन्न हो गई है/किसी भी सेवा को उपलब्ध करानें में असफल रहने अथवा किसी दायित्व का निर्वहन करने में असमर्थ रहने, जहां ऐसी असफलता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आरोप्य है, बिजली फेल हो गई या ऊर्जा आपूर्ति अवरूद्ध है अथवा एटीएम/एटीएम कार्ड ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं या एटीएम में पर्याप्त रोकड़ नहीं है अथवा कोई अन्य कारण हो तो बैंक कतई जिम्मेदार नहीं होगा तथा इस प्रकार की उत्पन्न किसी भी स्थिति के परिणामस्वरूप कार्डधारक को होने वाली किसी भी प्रकार की हानि अथवा क्षति के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

20. क्षतिपूरण: कार्डधारक अपने द्वारा की गई किसी भी भूल-चूक अथवा किसी भी शर्त की विपरीतता और यहां तक कि अन्यथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हानि या क्षति के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा।

21. एटीएम कार्ड जारी करने हेतु आवश्यक समय
बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्राप्त आवेदन के प्राप्त होने की तिथि से कार्ड सूपुर्द करने एवं ग्राहक को पिन देने में 3 से 4 सप्ताह का समय लगता है।

22. नियमों एव शर्तो में परिवर्तन
अ. बैंक को किसी भी समय, ग्राहक को सूचना दिये बिना किसी भी नियम एवं शर्त में संशोधन करने, परिवर्तन करने, कम करने या जोड़ने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।
ब. एटीएम का परिचालन समय पूर्णरूपेण बैंक के विवेक पर निर्भर करेगा और बिना किसी भी पूर्व सूचना के बैंक इसमें कोई भी परिवर्तन कर सकता है।
स. बैंक को बिना कोई कारण बताये एटीएम को एक्सेस करने अथवा एटीएम सुविधा/किसी भी व्यक्ति की एटीएम सेवा को समाप्त करने का अपने विवेकानुसार पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

23. शासी विधि एवं विवाद समाधान
एतद् उपरोक्त शर्ते, कार्ड के रिवाज एवं परिचालन भारत के कानून द्वारा शासित होंगे तथा समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र निरपवाद रूप से जोधपुर (राजस्थान) होगा।
मैंने/हमने उपरोक्त नियमों को पढ़ लिया है और समझ लिया है और मैं/हम अपनी स्वीकृति देता हूँ/देती हूँ/देते हैं।
उपरोक्त नियमों की विषयवस्तु मेरे/हमारे द्वारा पढ़ लिया गया है और इसकी व्याख्या मेरी/हमारी मातृभाषा में की गई है तथा मैं/हम उनका पालन करने के लिए बाध्य हूँ/हैं।

दिनांक : ....

स्थान : ....

आवेदक(कों) के हस्ताक्षर